

—: प्रेस विज्ञप्ति :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-8/2020/298 /आठ-1-20-01विवेक/2000 दिनांक 07.02.2020 के द्वारा डिफाल्टर आवंटियों हेतु एक मुश्त समाधान योजना (OTS) 2020 दिनांक 06 मार्च, 2020 से प्राधिकरण में लागू हो रही है। डिफाल्टर आवंटी ऑनलाईन आवेदन www.awasbandhu.in पर अथवा ऑफलाईन निम्नलिखित स्थानों से फार्म प्राप्त कर प्राधिकरण में आवेदन कर सकते है :-

प्राधिकरण जन सम्पर्क कार्यालय एवं विजया बैंक नवयुग मार्केट, ओबीसी बैंक लोहिया नगर, पंजाब नेशनल बैंक अम्बेडकर रोड, एचडीएफसी बैंक आरडीसी राजनगर से रूपये 10/- मूल्य जमा कराकर फार्म क्रय कर सकते हैं।